इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 6 अंक सं. : 11 ून 2014

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

इस अंक में

मौद्रिक नीति ---------- 1
मुख्य घटनाएं ---------- 2
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां ---------- ----------2
बैंकिंग ागत की घटनाएं ----------3
विनियामकों के कथन ----------4
अर्थव्यवस्था / विदेशी मुद्रा ---------- 5
ग्रामीण बैंकिंग ---------- 6
उत्पाद एवं गठजोड ----------6
बासेल -III - पूंजी विनियमन----------6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं ----------7
शब्दावली ---------- 7
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ----------7
संस्थान समाचार----------7
बाज़ार की खबरें ----------8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

2री द्विमासिक मौद्रिक नीति 2014-15 - 3 जून 2014

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने 14 जून, 2014 से आरंभ होने वाले पखवाड़े से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) उनकी निवल मांग एवं सावधि देयताओं (NDTL) के 23.0% से 50 आधार अंक घटाकर 22.5% कर दिया है। इस उपाय से बैंकों की 40,000 करोड़ रुपये की निधियों के मुक्त होने की आशा है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत पुनर्खरीद (Repo) दर को 8.0% पर कायम रखा है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) को उनकी निवल मांग एवं सावधि देयताओं (NDTL) के 4% पर कायम रखा है।
- निर्यात ऋण पुनर्वित्त (ECR) सुविधा के अधीन प्रदान की जाने वाली सुविधा को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पात्र निर्यात ऋण बकाये के 50% से तत्काल प्रभाव से घटाकर 32% कर दिया गया है। इसके साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्यात ऋण पुनर्वित्त के तहत चलनिधि की प्राप्ति में कमी की पूरी तरह भरपाई करने हेतु निवल मांग एवं सावधि देयताओं के 0.25% की विशेष मीयादी पुनर्खरीद (Term Repo) सुविधा आरंभ की है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 दिवसीय और 14 दिवसीय मीयादी पुनर्खरीद सुविधा के तहत बैंकिंग प्रणाली की निवल मांग एवं सावधि देयताओं के 0.75% तक चलनिधि प्रदान करना जारी रखा है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत 7.0% की प्रति (Reverse)-पुन र्खरीद दर तथा 9.0% की सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) एवं बैंक दर को कायम रखा है।
- घरेलू विदेशी मुद्रा बाज़ार में गहनता और चलनिधि बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को घरेलू स्तर पर शेयर बाज़ार में खरीदी - बेची जाने वाली व्युत्पन्नियों के बाज़ार में उनके अन्तर्निहित ऋण जोखिमों के अलावा 10 मिलियन अतिरक्त अमरीकी डालर की सीमा तक सहभागिता करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने घरेलू कम्पनियों / संस्थाओं को शेयर बाज़ार में खरीदी -

बेची जाने वाली व्युत्पन्नियों के बाज़ार में भी उसी प्रकार के अभिगम की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

- एक विवेकसंगत उपाय के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने पिछले वर्ष में उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के तहत विदेशी मुद्रा विप्रेषणों के लिए पात्रता सीमा को घटाकर 75,000 अमरीकी डालर कर दिया था। विदेशी मुद्रा बाज़ार में हाल की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त पात्रता सीमा को मार्जिन क्रय-विक्रय, लॉटरी और वैसे ही क्रियाकलापों जैसे वर्जित विदेशी मुद्रा लेनदेनों को छोड़कर अंतिम उपयोग सम्बन्धी प्रतिबंधों के बिना बढ़ा कर 1,25,000 अमरीकी डालर कर दिया है।
- वर्तमान में केवल भारतीय निवासियों को ही 10,000 रुपये तक के भारतीय करेंसी नोट देश से बाहर ले जाने की अनुमति है। भारत आने वाले अनिवासियों को देश से बाहर जाते समय कोई करेंसी नोट ले जाने की अनुमति नहीं है। भारत आने वाले अनिवासियों की यात्रा से सम्बन्धित आवश्यकताओं को सुगम बनाने की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी निवासियों और अनिवासियों को देश से बाहर जाते समय 25,000 रुपये तक के करेंसी नोट ले जाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

मुख्य घटनाएं

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु नाबालिगों के लिए बचत खाते

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10 वर्ष से अधिक आयु वाले नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से बचत बैंक खाते खोलने और परिचालित करने की अनुमति प्रदान कर दी है। हालांकि, बैंक उनकी जोखिम प्रबन्धन प्रणालियों को ध्यान में रखते हुए इन जमा खातों को परिचालित करने के उद्देश्य से न्यूनतम आयु और रकम निर्धारित कर सकते हैं। वे इन खातों को खोलने हेतु आवश्यक दस्तावेज़ों का निर्धारण भी कर सकते हैं तथा नाबालिगों को इंटरनेट बैंकिंग, एटीएमों / डेबिट कार्डों एवं चेक बुक सुविधाओं की अतिरिक्त सुविधाएं भी प्रदान कर सकते हैं, बशर्ते ये खाते अधि-आहरित न हों और यह कि इन खातों में जमा शेष हमेशा बना रहे। इस मुहिम का उद्देश्य मुद्रा से सम्बन्धित मामलों को समझने में बच्चों की सहायता करना, अधिकार प्राप्त महसूस करने में उनकी सहायता करना एवं उन्हें अल्प वय में ही बैंकिंग प्रणाली से परिचित कराना है।

सभी नये एटीएम बोलने वाली मशीनें होंगे

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को यह अनुदेश दिया है कि 1 जुलाई, 2014 से लगाए जाने वाले सभी नये एटीएमों को श्रव्य अनुदेश देने तथा ग्राहकों को उत्कीर्ण (Braille) कीपैड उपलब्ध कराने वाले होना चाहिए। इस सुविधा की सामयिक अंतरालों पर समीक्षा की जानी चाहिए। उक्त निर्देश वर्ष 2009 में बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक की उस सलाह के अनुसरण में दिए गए हैं जिसमें बैंक शाखाओं

एवं एटीएमों को विकलांग व्यक्तियों के लिए अभिगम्य बनाने तथा कम से कम एक तिहाई नये एटीएमों को उत्कीर्ण (Braille) कीपैड सहित बोलने वाली मशीनें बनाने हेतु कहा गया था। इसके अलावा, उसने बैंकों से सभी मौजूदा और भावी एटीएमों में रैम्प लगाने की व्यवस्था करने हेतु भी कहा है, ताकि व्हील चेयर प्रयोक्ता / विकलांग व्यक्ति उनका आसानी से उपयोग कर सकें।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को बाह्य वाणिज्यिक उधार पुनर्व्यवस्थित करने की अनुमति दी

आहरण द्वारा कमी (Drawdown) एवं चुकौती कार्यक्रम में परिवर्तनों के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को भारतीय कम्पनियों को देय बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) राशियों को पुनर्व्यवस्थित करने की अनुमति प्रदान कर दी है। यह सुविधा स्वयमेव और अनुमोदन मार्गों के तहत जुटाए गए बाह्य वा णिज्यिक उधारों (ECBs) को उपलब्ध होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने कार्यविधियों को सरल बनाने के एक उपाय के रूप में बैंकों को अधिकार (शक्तियां) प्रदान की हैं। बैंक कुछेक शर्तों पर पुनर्व्यवस्था की अनुमति प्रदान कर सकते हैं। कुल लागत में कोई भी परिवर्तन पुनर्व्यवस्था करने के बाद केवल औसत परिपक्वता में परिवर्तन के कारण ही होना चाहिए। ब्याज दर में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होनी चाहिए तथा इसमें कोई अतिरिक्त लागत नहीं आनी चाहिए। पुनर्व्यवस्था की अनुमति बाह्य वाणिज्यिक उधार की परिपकव्ता से पहले केवल एक बार दी जाएगी। ऋणदाता के किसी घरेलू बैंक की विदेशी शाखा होने पर उसे पुनर्व्यस्था पर लागू होने वाले विवेकसंगत मानदंडों का पालन करना चाहिए।

निष्क्रिय खाते में न्यूनतम शेष राशि न रखे जाने पर कोई जुरमाना नहीं

मौद्रिक नीति में निहित एक सुझाव के अनुरूप भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को किसी निष्क्रिय खाते में न्यूनतम शेष राशि न रखे जाने पर दण्डात्मक प्रभार न वसूल करने का अनुदेश दिया है। इसके बजाय बैंकों को ऐसे खातों में सुविधाओं को मूलभूत बचत बैंक जमा खातों में उपलब्ध होने वाली सु विधाओं तक सीमित कर देना चाहिए तथा उन्हें शेष राशि के बढ़कर न्यूनतम अपेक्षित स्तर तक हो जाने पर बहाल कर देना चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बाह्य वाणिज्यिक उधार मार्ग के जरिये रुपया -ऋण पुनर्वित्तीयन पर रोक लगाई

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय कम्पनियों को विदेशों में स्थित भारतीय बैंकों की सहायक कम्पनियों को रुपया ऋण के पुनर्वित्तीयन हेतु बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ECBs) के माध्यम से धन जुटाने से रोक दिया है। इसके पूर्व विनिर्माण, मूलभूत सुविधा और होटल उद्योग में कार्यरत भारतीय कम्पनियों को अधिकतम 10 बिलियन अमरीकी डालर तक जुटाने की अनुमति थी। किसी विशिष्ट कम्पनी द्वारा लिया जा सकने

वाला अधिकतम अनुमेय बाह्य वाणिज्यिक उधार पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए औसत वा र्षिक निर्यात अर्जनों का 75% था।

गृह ऋणों की पूर्व चुकौती पर कोई जुरमाना नहीं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को व्यक्तिगत उधारकर्ताओं द्वारा उनके अस्थिर दर वाले सावधि ऋणों (गृह ऋणों) की पूर्व चुकौती किए जाने पर कोई जुरमाना न वसूल करने का निर्देश दिया है। बैंकों को व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को स्वीकृत सभी अस्थिर दर वाले सावधि ऋणों पर पुरोबंध (foreclosure) प्रभार / पूर्व चुकौती जुरमाना प्रभारित करने की अनुमति नहीं होगी।

भारतीय बैंक की विदेशी शाखाएं विदेशों में व्युत्पन्नियां बेच सकती है

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय बैंकों की विदेशों में स्थित शाखाओं और सहायक कम्पनियों को न्यूयार्क, लंदन, सिंगापुर, हांगकांग, फ्रैंकफुर्त, दुबई आदि जैसे प्रतिष्ठित वित्तीय केन्द्रों में संरचित वित्तीय एवं व्युत्पन्नी (derivatives) उत्पाद इन उत्पादों के भारत में अनुमत न होने के बावजूद, बेचने की अनुम ति प्रदान कर दी है। दिसम्बर, 2009 में बैंकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया था कि वे मेज़बान देश के विनियामक द्वारा निर्धारित उनके विनियामक निर्वचन सहित इन उत्पादों के पूर्ण विवरण प्रस्तुत करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन प्राप्त करें। अन्य केन्द्रों (इसके ऊपर वर्णित केन्द्रों को छोड़कर) में बैंक केवल वही उत्पाद प्रदान कर सकते हैं जिनकी भारत में विशिष्ट रूप से अनुमति है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्यातकों के ऋण की अवधि बढ़ाकर 10 वर्ष किया

अपने पूर्ववर्ती नियमों को सरल बनाते हुए भाररतीय रिज़र्व बैंक ने निर्यातकों को निर्यात संविदाओं को पूरा करने हेतु पूर्ववर्ती एक वर्ष के बजाय 10 वर्ष तक के अपेक्षाकृत दीर्घकालिक अग्रिम प्राप्त करने की अनुमति प्रदान कर दी है। हालांकि, इस प्रकार के अग्रिमों के लिए केवल पिछले तीन वर्ष के संतोषजनक अच्छे रिकार्ड वाले निर्यातक और भावी निर्यात के समक्ष समायोजित भुगतान ही पात्र होंगे। इन अग्रिमों का उपयोग अनर्जक आस्तियों के लिए श्रेणीकृत रुपया ऋणों को चुकाने हेतु नहीं किया जा सकता। इसके बजाय बैंक यदि आवश्यक हो, तो गारंटियां एवं आपाती साख पत्र जारी कर सकते हैं। ब याज दर, यदि कोई हो, तो वह लिबोर से 200 आधार अंक से अधिक नहीं हो सकती। निर्यात आदेशों के निष्पादन के लिए कार्यशील पूंजी हेतु दोहरे वित्तीयन को भी निरुत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा, ऐसे निर्यातकों को जिन्होंने 100 मिलियन अमरीकी डालर या उससे अधिक के ऋण प्राप्त किए हों, उक्त लेनदेन की सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक को तत्काल देनी आवश्यक होगी।

विविध गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए एक समान पंजीकरण फार्म

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (NBFCs) के लिए विविध प्रकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों यथा- सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (NBFC-MFIs); गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी-आढ़तियों तथा मूलभूत सुविधा विकास वित्त -गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (IDF-NBFCs) के लिए एक समान आवेदन पत्र लागू करते हुए पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बना दिया है। हालांकि, मौजूदा मानदंडों के अनुसार पंजीकरण के लिए आवश्यक प्रलेखन भिन्न-भिन्न हैं, क्योंकि विविध प्रकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्प नियों के व्यवसाय अलग-अलग होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रमुख निवेश कम्पनियों (CICs) के लिए आवेदन पत्र प्रलेखों को दो जांच-सूचियों के साथ पुन: तैयार किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सीमित देयता भागीदारी फर्मों को विदेशों में वित्तीय प्रतिबद्धता स्वीकार करने की अनुमति दी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सीमित देयता वाली भागीदारी (LLP) फर्मों को विदेशों में स्थित संयुक्त उद्यमों (JVs) अथवा भारतीय कम्पनियों की पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कम्पनियों को /उनकी ओर से वित्तीय प्र तिबद्धता स्वीकार करने का व्यवसाय करने की अनुमति दे दी है। सीमित देयता वाली भागीदारी फर्म को भारतीय पक्षकार के रूप में अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है। भारतीय पक्षकार से अभिप्राय है विदेशों में स्थित किसी संयुक्त उद्यम या पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कम्पनी में निवेश करने वाली भारत में निगमित कोई कम्पनी तथा उसमें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा-अधिसूचित भारत में स्थित किसी अन्य संस्था / कम्पनी का समावेश है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के अधिग्रहण के सम्बन्ध में भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंड

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के सही और उपयुक्त प्रबन्धन को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह अनिवार्य कर दिया है कि किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी के (शेयरों के जरिये या अन्यथा) नियंत्रण हेतु किसी भी अधिग्रहण या अभिग्रहण के लिए अब उसका लिखित पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा। इसके अलावा, किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी के किसी अन्य संस्था या कम्पनी के साथ ऐसे विलयन या समामेलन अथवा उसके विपरीत क्रम में जो अधिग्राहक / अन्य संस्था / कम्पनी को उक्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी का नियंत्रण देने वाला हो, के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति आवश्यक होगी। इसके अलावा, किसी ऐसी कार्रवाई, जिसकी परिणति गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी की चुकता पूंजी के 10% से अधिक की शेयरधारिता के अभिग्रहण / अंतरण में होने वाली हो, के लिए भी भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन आवश्यक होगा।

जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि के परिचालनात्मक दिशानिर्देश

भारत सरकार ने 24 मई, 2014 के सरकारी राजपत्र में जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि योजना, 2014 को अधिसूचित किया था। इस सम्बन्ध में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को उक्त योजना के परिचालनात्मक दिशानिर्देशों से सूचित किया है। बैंकों को प्रभावी तिथि (अर्थात् 23 मई, 2014) से एक

दिन पहले सभी निष्क्रिय खातों में उपचित ब्याज के साथ संचयी जमा शेषों तथा 10 वर्ष से अदावीकृत पड़ी शेष राशियों की गणना करनी होगी तथा ऐसी रकमों को 30 जून, 2014 को जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि में अंतरित करना होगा। आगे चल कर बैंकों को प्रत्येक कैलेंडर माह में देय होने वाली रकमों (अर्थात् निष्क्रिय खातों में प्राप्त राशियों तथा 10 वर्ष या उससे अधिक समय से अदावीकृत शेष राशियों)और उन पर अगले माह के अंतिम कार्य दिवस को उपचित ब्याज को उक्त योजना में यथा-विनिर्दिष्ट रूप में अंतरित करना होगा।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

वित्त मंत्रालय बैंकों की ऋण जोखिम सीमाओं को कठोर बनाने के पक्ष में

केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने बैंकों की ऋण जोखिम (Exposure) सीमाओं को कठोर बनाने का प्रस्ताव रखा है, क्योंकि किसी एक कम्पनी / समूह को अधिक उधार देने से सार्वजनिक क्षेत्र के छोटे बैंक विशेषत: दबावग्रस्त आस्तियों के बढ़ते स्तरों के परिणामस्वरूप जोखिम में पड़ सकते हैं। उक्त सीमा को कुछेक ऐसे दबावग्रस्त क्षेत्रों के लिए भी कठोर बनाया जा सकता है, जिनमें जोखिम अधिक है। भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान विवेकसंगत मानदंडों के अनुसार कोई बैंक किसी एक उधारकर्ता को पूंजीगत नि धियों के 15% तथा किसी उधारकर्ता समूह को 40% से अधिक ऋण नहीं दे सकता। भारतीय रिज़र्व बैंक की दिसम्बर वाली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में यह कहा गया था कि कारपोरेट और व्यवसाय समूहों के प्रति बैंकों की ऋण जोखिम (Exposure) सीमाएं उत्तम वैश्विक प्रथाओं (किसी समूह के लिए 25%) से बहुत अधिक थीं। इससे ऋणगत चूक की स्थिति में बैंकिंग प्रणाली को गंभीर जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 बैंकों को जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण के अधीन रखा

कैमेल्स निरीक्षण वाली अपनी बहुत प्राचीन प्रथा को समाप्त करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 बैंकों को जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण के अधीन रखा है, जिससे बैंकों के सूक्ष्म प्रबन्धन की शुरूआत का संकेत प्राप्त होता है। कैमेल्स (पूंजी पर्याप्तता, आस्ति की गुणवत्ता, प्रबन्धन, अर्जन, चलनिधि और प्रणाली तथा नियंत्रण) ढांचे का विकास 1970 वाले दशक के आरंभ में अमरीकी फेडरल रिज़र्व द्वारा किसी बैंक की वित्तीय सुदृढ़ता का निर्धारण करने हेतु किया गया था। कैमेल्स में किसी बैंक का श्रेणी-निर्धारण व्यापक तौर पर बित्तीय मापदंडों और कार्य-निष्पादन पर किया जाता था। 2008 के वैश्विक संकट के बाद विश्वभर के विनियामकों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक लाभ को अधिकतम करने तथा कार्य-निष्पादन को बढ़ावा देने हेतु अनुचित जोखिम न उठाएं जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण को अपनाना आरंभ कर दिया।

चलनिधि बढ़ाने हेतु बंदी के समय में परिवर्तन

बाज़ार में चलनिधि बढ़ाने की आशा वाली एक मुहिम के तहत व्यापारियों को उस समय भी बॉण्डों का क्रय-विक्रय करने की अनुमति होगी जिन दिनों को भारतीय रिज़र्व बैंक उस ऋण के लिए कूपन का भुगतान कर रहा हो। पूर्ववर्ती नियम के तहत ऐसे बॉण्डों को जिनके कूपन भुगतान देय होते थे एक दिवसीय "बंदी अवधि" में रखा जाता था। उक्त प्रक्रिया के दौरान उन प्रतिभूतियों के स्वामित्व में किसी परिवर्तन से बचने के लिए व्यापारियों को कूपन भुगतान के पहले वाले दिन उनका क्रय-विक्रय करने की अनुमति नहीं होती थी।

सभी बिलों के लिए एकल खिड़की भुगतान सुविधा

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रस्तावित बिल भुगतान की नयी प्रणाली के लागू कर दिए जाने पर प्रयोक्ता सभी प्रकार के बिलों का भुगतान एक बटन क्लिक करके या अन्य तृतीय पक्षकार के विक्रेता के माध्यम से कहीं भी करने में समर्थ होंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक सभी प्रकार के बिल भुगतानों को आसान बनाने के लिए एक भारतीय बिल भुगतान प्रणाली, एक केन्द्रीकृत भुगतान प्रवेश मार्ग (गेटवे) की स्थापना कर रहा है। उक्त भुगतान प्रक्रिया गिरों (सरकार के आंतरिक राजस्व आदेश) पर आधारित प्रणाली के माध्यम से लागू की जाएगी, जिसमे उपयोगिता भुगतान, कर, विश्वविद्यालयीन शुल्क, परीक्षा शुल्क तथा बीमा प्री मियम जैसे सभी बिल-निर्माता एक ऐसे साझे मंच पर एकत्रित होते हैं जो भुगतानकर्ताओं को सीधे बिल-निर्माताओं को भुगतान करने में समर्थ बनाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक ने गिरो परामर्शी दल नामक एक स मिति का गठन किया है। गिरो परामर्शी दल ने दो संगठनों यथा- भारत बिल भुगतान सेवा और भारत ि बल भुगतान परिचालन एककों का गठन प्रस्तावित किया है। इस नयी प्रणाली में सभी बिलों को एक ऐसे स्थान पर सूचीबद्ध किए जाने की सुविधा होगी जहां व्यक्ति पहुंच और भुगतान कर सकता है। यह भुगतान एवं निपटान प्रणाली में भुगतान प्रणाली विज़न (2012-15) में यथा-निर्धारित विधि से सुधार लाने हेतु जारी प्रयासों का ही एक अंग है । भारतीय रिज़र्व बैंक इस प्रणाली को इसलिए विकसित करना चाहता है क्योंकि काफी बड़ी संख्या में बिलों का भुगतान बिल-निर्माता के स्थल पर नकदी या चेकों के माध्यम से किया जाता है, जबकि बिल भुगतान केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से उपलब्ध नहीं होते। इसके लिए कोई ऐसी एकमात्र वेबसाइट नहीं है जिसमें सभी बिलों की पहुंच और भुगतान हो सके। नयी प्रणाली से ग्राहकों और बिल-निर्माताओं को चीजों को इलेक्ट्रॉनिक विधि से सुरक्षित रखने और अड़चन कम करने में सहायता प्राप्त होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मानदंडों में ढील दिए जाने के बाद अनर्जक आस्तियों में कमी लाना आसान

चौथी तिमाही में विपद्ग्रस्त आस्तियों को आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों (ARCs) को बेचने हेतु अचानक आपाधापी का कारण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को अनर्जक ऋणों (NPLs) को बेचते समय किए गए बही मूल्य से अधिक प्रावधानों को प्रतिलेखित (write back) करने की अनुमति दिया जाना हो सकता है। इसके पूर्व बिक्री के निवल बही मूल्य से अधिक मूल्य हेतु होने पर अतिरिक्त प्रावधान को प्रत्यावर्तित (reverse) करने की अनुमति नहीं होती थी। बैंकों को इसका उपयोग अन्य वित्तीय आस्तियों को आस्ति

पुनर्निर्माण कम्पनियों को बेचने से होने वाली हानि को पूरा करने हेतु करना होता था। यह स्थिति 2000 के प्रारंभिक दिनों की ओर वापस ले जाती है जब सकल अनर्जक ऋण इतने ही स्तर पर थे तथा पुनर्संर चित ऋणों की संकल्पना अस्तित्व में नहीं थी। इसप्रकार, ऐसे ऋणों के मामले में जो इस प्रकार` समस्यामूलक हों जिनका निराकरण किसी बैंक द्वारा अकेले स्तर पर नहीं किया जा सकता, कई एक बैंकों ने अब उन्हें अधिक कुशल निराकरण हेतु आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों को दे दिया है, क्योंकि आ स्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों के पास इन ऋणों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने तथा इन्हें वसूल करने के लिए समर्पित संसाधन मौजूद हैं।

ऋणपात्रता से सम्बन्धित आंकड़ों की तलाश में अधिक ग्राहक

नये ऋण आवेदनों के 60% के 40 वर्ष से कम आयु वाले आवेदकों से प्राप्त होने के परिणामस्वरूप ऋण आसूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड में पिछले तीन वर्षों में ऋण आवेदनों में 20% की वृद्धि परिलक्षित हुई है। हालांकि सभी आवेदक पात्र उधारकर्ता नहीं होते। केवल 700 + (से अधिक) की साख गणना वाले आवेदकों के ही ऋण एवं क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर पाने की संभावना अधिक होती है। आज बैंक और वित्तीय संस्थाएं कोई नया ऋण स्वीकृत करने के पूर्व साख गणना को महत्वपूर्ण कारक मानती हैं। ब्यूरो के पास पूरे देश में 33 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं और 1.7 करोड़ व्यवसायों का डाटाबेस मौजूद है। ऋणदात्री संस्थाएं उधार देने से सम्बन्धित निर्णय लेने से पहले आवेदक के बारे में ऋण आसूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड की रिपोर्ट की जांच करती हैं।

मुद्रा तिजोरियों में नकदी परिचालनों की सीसीटीवी निगरानी

भारतीय रिज़र्व बैंक चाहता है कि बैंक किसी प्रकार के दुष्कृत्य या अनियमितता से बचने के लिए गंदे नोटों के विप्रेषण की पैकिंग सहित मुद्रा तिजोरियों में समस्त नकदी संचालन परिचालनों की सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था करें। भारतीय रिज़र्व बैंक के ध्यान में यह तथ्य लाया गया था कि किसी मुद्रा तिजोरी द्वारा गंदे नोट विप्रेषण की पैकिंग का कार्य कोष कक्ष / सुरक्षित कक्ष के बाहर किया जाता है, इसप्रकार सीसीटीवी को विप्रेषण की पैकिंग सम्बन्धी परिचालन को प्रगृहीत करने की अनुमति नहीं दी जाती।

सरकारी बैंकों को नियंत्रण मुक्त करें - नायक पैनल

ऐक्सिस बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री पी.जे. नायक की अध्यक्षता वाले भारतीय रिज़र्व बैंक के एक पैनल ने भारतीय बैंकों के लिए मौलिक सुधारों की सिफारिश की है। उसने यह सुझाव दिया है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपने समस्त हित और अधिकार (शक्तियां) एक अलग संस्था, यथा- 'बैंक निवेश कम्पनी' (BIC) को अंतरित कर दे। उसने यह भी सिफारिश की है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपने हित को घटाकर 50% से कम कर दे, ताकि इन बैंकों को सतर्कता के प्रवर्तन, कर्मचारी प्रतिकर तथा सूचना के अधिकार की प्रयोज्यता जैसे मामलों में समान अवसर प्राप्त हों सकें।

निजी बैंकों के लिए 'प्राधिकृत बैंक निवेशक' (ABIs) कहे जाने वाले निवेशकों की एक विशेष श्रेणी की सिफारिश की गई है। इस खण्ड में विविधीकृत निवेशकों का समावेश होगा तथा इनका प्रबन्धन सही एवं उपयुक्त निधि प्रबन्धकों द्वारा विवेकपूर्ण विधि से किया जाएगा। प्राधिकृत बैंक निवेशक बैंक में पूर्वानुमोदन के बिना 20% हित तथा 15% हित मताधिकार सहित रखेंग। नये बैंक लाइसेंस मानदंडों के तहत प्रवर्तकों को 15% की तुलना में 25% हित रखने की अनुमति होनी चाहिए। सार्वज निक क्षेत्र के बैंकों के लिए निदेशक मण्डल स्तर की नियुक्तियों के लिए तीन -चरणों वाला दृष्टिकोण प्रस्तावित है।

विनियामकों के कथन

मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने हेतु ब्याज दर भारतीय रिज़र्व बैंक का सर्वोत्तम साधन

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन का कहना है कि मूल्य वृद्धि को नियंत्रित रखने के लिए ब्याज दर केन्द्रीय बैंक को उपलब्ध सर्वोत्तम साधन है। "सरकार के पास भी कृषि उत्पादन को बढ़ाने तथा आपूर्ति को बढ़ाने जैसे साधन मौजूद हैं, जिनमें से दोनों का साथ मिल कर काम करना जरूरी है। हमें सब्जियों की कीमतों से मौसमी प्रभाव के कारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में कुछ वृद्धि की आशा थी, किन्तु यह मतैक्य वाले पूर्वानुमान द्वारा प्रत्याशित स्तर से अधिक हो गई। हम उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे इस बात का पता चलता है कि जहां तक खद्यान्न की कीमतों का सम्बन्ध है, मुद्रास्फीति अधिक है। हालांकि मुख्य मुद्रास्फीति में गिरावट आ रही है, किन्तु अत्यधिक मंद गति से।"

बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेश : छोटे खाते आवश्यक दस्तावेज़ों के बिना खोलें

बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को आवश्यक दस्तावेजों की मांग किए बिना छोटे खाते खोलने की सकाह दी है। वर्तमान में 50% से अधिक भारतीयों की बैंकिंग चैनलों तक पहुंच नहीं है। भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री आर. गांधी ने कहा है कि छोटा खाता केवल एक फार्म भर कर, उसे किसी बैंक अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित करके तथा बैंक अधिकारी द्वारा प्रमाणित स्वत: साक्ष्यांकित फोटोग्राफ प्रस्तुत करके खोला जा सकता है। हालांकि, यह सुविधा कुछेक प्रतिबंधों के साथ प्राप्त होती है। छोटे खातों में जमा / नामे शेषों पर सीमाएं लागू होंगी; ये केवल कोर बैंकिंग समाधान् समर्थित शाखाओं में ही उपलब्ध होंगे, किसी प्रकार के विदेशी विप्रेषण की अनुमति नहीं होगी, यह सुविधा केवल 12 माह के लिए उपलब्ध होगी (इसके आगे वाले विस्तार के लिए आधिका रिक रूप से वैध दस्तावेज़ लागू होंगे), किसी वित्तीय वर्ष में समस्त जमा का योग 1 लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकता; एक माह में समस्त आहरणों एवं अंतरणों का योग 10,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकता और किसी भी समय बिन्दु पर शेष राशि 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

घटिया उत्पादों, सेवाओं के लिए बैंक उत्तरदायी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को घटिया गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करने से विरत रहने तथा उत्पादों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करने का निदेश दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक की कार्यपालक निदेशक डॉ. दीपाली पंत जोशी ने कहा है कि बैंकों को देख के खरीदो (क्रेता सावधान) वाले सिद्धांत से आगे बढ़ना होगा। विक्रेता सावधान में यह सिद्ध करने का दायित्व निहित होता है कि सेवा में कमी उत्पाद के विक्रेता में मौजूद नहीं थी। यह क्रेता सावधान वाले सिद्धांत के विपरीत है तथा इससे यह ज्ञात होता है कि बाज़ार के लेनदेनों में विक्रेता को भी झांसा दिया जा सकता है। यह विक्रेता को उत्पाद का दायित्व स्वीकार करने पर विवश करता है और विक्रेताओं को घटिया गुणवत्ता वाले उत्पादों का प्रबन्धन करने से हतोत्साहित करता है। डॉ. जोशी ने कहा कि बैंकों को निष्पक्ष, पारदर्शी होना चाहिए, ग्राहकों को उपयुक्त उत्पाद बेचना चाहिए, परिवाद निवारण प्रक्रिया का गठन करना चाहिए, उत्पादों को सरल बनाना चाहिए तथा ग्राहकों को उत्पादों में हुए परिवर्तनों से सूच्ति करना चाहिए। इसके अलावा, बैंकों को इस बात का सुस्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए कि उनमें खराबी आने पर बैंक या ग्राहक में से कौन जिम्मेदार होगा।

धोखाधड़ियों में कमी लाने हेतु ग्राहक के लेनदेनों पर निगरानी रखें

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री आर. गांधी का कहना है कि धोखाधड़ियों के जोखिम में कमी लाने के लिए बैंकों के लिए ग्राहकों के लेनदेनों पर नियमित रूप से निगरानी रखना जरूरी है। उनका कहना है कि "मौजूदा अपने ग्राहक को जानिए मानदंडों के अनुरूप लेनदेन पर आधारित ग्राहक प्रोफाइलें बनाना महत्वपूर्ण होगा। अपने ग्राहक को जानिए सम्बन्धी उपयुक्त कार्यविधियों से कपटपूर्ण लेनदेनों के माध्यम से काले धन को वैध बनाने और आतंकवाद के वित्तीयन पर रोक लगानी होगी। वित्तीय प्रणाली को संरक्षित रखने तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने हेतु अपने ग्राहक को जानिए मानदंड महत्वपूर्ण हैं।"

अर्थव्यवस्था

वित्त वर्ष 14 के चालू खाते का अंतर घट कर सकल घरेलू उत्पाद का 1.7%

आयात में तीव्र विमंदन (विशेषत: सोने के) द्वारा सहायता पा कर भारत के चालू खाते का घाटा (CAD) वित्त वर्ष 2013-14 के 4.7% से तीव्र गति से कम होकर वित्त वर्ष 14 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 1.7% अथवा 32.4 बिलियन अमरीकी डालर रह गया। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान भुगतान संतुलन (BoP) में सेवा क्षेत्र का अंशदान 12.3% बढ़कर 64.9 बिलियन अमरीकी डालर के मुकाबले 73 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। वित्त वर्ष 14 की अंतिम तिमाही में सोने के आयात में लगभग दो

तिहाई कमी आई , जो पिछले वित्त वर्ष के 15.8 बिलियन अमरीकी डालर से घट कर 5.3 बिलियन अमरीकी डालर रह गया। उक्त तिमाही के व्यापार घाटे में लगभग एक तिहाई कमी आई, जो एक वर्ष

पहले वाली अवधि के 45.6 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 30.7 बिलियन अमरीकी डालर रह गया। वित्त एवं वाणिज्य मंत्रालयों के साथ मिलकर विशेष उपायों को लागू किए जाने के बाद से रुपये ने अमरीकी डालर के समक्ष कमजोरी को उल्लेखनीय अंध तक दूर कर लिया है।

विदेशी मुद्रा

जून, 2014 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक के लिए लिबोर / अदला-बदली					
	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.53440	0.519	0.914	1.288	1.615
जीबीपी	0.93888	1.1261.	1.4810	1.7630	1.9860
यूरो	0.52029	0.378	0.477	0.608	0.771
जापानी येन	0.33714	0.199	0.219	0.259	0.318
कनाडाई डालर	1.49000	1.376	1.555	1.743	1.927
आस्ट्रेलियाई डालर	2.69000	2.803	2.965	3.210	3.382
स्विस फ्रैंक	0.18040	0.077	0.123	0.212	0.338
डैनिश क्रोन	0.53100	0.5658	0.6890	0.8490	1.0252
न्यूजीलैंड डालर	3.71500	3.973	4.153	4.288	4.395
स्वीडिश क्रोन	0.79800	0.890	1.086	1.329	1.485
सिंगापुर डालर	0.32000	0.587	0.944	1.284	1.587
हांगकांग डालर	0.46000	0.700	1.080	1.430	1.720
एमवाईआर	3.66000	3.740	3.850	3.960	4.040

स्रोत : भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (FEDAI)

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां

मद	**23 मई , 2014 के दिन**	**23 मई; 2014 के दिन**
	बिलियन रुपये	**मिलियन अमरीकी डालर**

	1	2
कुल प्रारक्षित निधियां	18, 324.0	312,,656. 3

13

क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	16, 700.5	2 85, 560. 9
ख) सोना	1, 265.0	20,965. 8
ग) विशेष आहरण अधिकार	260, 4	4, 452.6
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	98.1	1, 677 .0

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

ग्रामीण बैंकिंग

ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि के तहत बकाया जमाराशियों को प्राथमिक्ता प्राप्त उधार की हेसियत मिलेगी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि (RIDF) के तहत बैंकों की बकाया जमाराशियों तथा नाबार्ड के पास कुछेक अन्य निधियों को अप्रत्यक्ष कृषि श्रेणी के अधीन प्राथ मिकता प्राप्त उधार (PSL) माना जाएगा। तदनुसार, वर्तमान वर्ष (2014) के 31 मार्च के दिन मूलभूत सुविधा विकास निधि के तहत बकाया जमाराशियों, गोदाम मूलभूत सुविधा निधि, अल्पावधिक सहकारी ग्रामीण ऋण पुनर्वित्त निधि तथा अल्पावधिक श्रेत्रीय ग्रामीण बैंक निधि को अप्रत्यक्ष कृषि का अंग माना जाएगा और उसकी गणना समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य की प्राप्ति के रूप में की जाएगी। पूर्ववर्ती 31 मार्च के दिन नाबार्ड के पास उपर्युक्त निधियों के अधीन बकाया जमारा शियां समायोजित निवल बैंक ऋण का अंग बनेंगी।

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ	उद्देश्य
भारतीय स्टेट बैंक	रिलाएंस मनी ट्रान्सफर इन्फ्रास्ट्रक्चर लि..	रिलाएंस मनी ट्रान्सफर इन्फ्रास्ट्रक्चर लि..भारतीय स्टेट बैंक के कारबार संपर्की के रूप में कार्य करगी।
भारतीय स्टेट बैंक	सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट एण्ड दि एलाइड ट्रस्ट्स	स्थिर विधि से गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास के लिए। बैंक कार्यशील पूंजी प्रदान करते हुए आवश्यकता पर आधारित ऋण सहायता की जरूरत पूरी करेगा।

बासेल III - पूंजी विनियमन (क्रमश:)

बाज़ार जोखिम हेतु पूंजीगत प्रभार

बाज़ार जोखिम तुलनपत्र में शामिल और तुलनपत्र-बाह्य स्थितियों में बाज़ार मूल्यों में उतार-चढ़ाव के कारण पैदा होने वाली हानियों से सम्बन्धित होता है। पूंजीगत आवश्यकता के तहत आने वाली बाज़ार जोखिम की स्थितियां व्यापार बहियों और व्यापार तथा बैंकिंग बहियों, दोनों में इक्विटियों तथा विदेशी मुद्रा जोखिम (सोना और अन्य बहुमूल्य धातुओं सहित) ब्याज दर से सम्बन्धित लिखतों से सम्बद्ध होती हैं।

पूंजी पर्याप्तता के उद्देश्य से व्यापार बही में निम्नलिखित का समावेश होगा :

क) व्यापार के लिए धारित (HFT) श्रेणी में समाविष्ट प्रतिभूतियां

ख) बिक्री के लिए उपलब्ध (AFS) श्रेणी में समाविष्ट प्रतिभूतियां

ग) सोने की जोखिम स्थिति (Open position) वाली सीमा

घ) विदेशी मुद्रा की जोखिम स्थिति वाली सीमा

ङ) व्युत्पन्नियों के क्रय-विक्रय वाली स्थिति

च) व्यापार बही के ऋण जोखिमों (Exposures) को प्रतिरक्षित करने हेतु प्रविष्ट व्युत्प न्नियां (Derivatives)

बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपनी बहियों में बाज़ार जोखिम का निरंतर आधार पर प्रबन्धन करें तथा यह सुनिश्चित करें कि बाज़ार जोखिमों के लिए पूंजी आवश्यकताएं निरंतर आधार अर्थात् प्रत्येक कारोबारी दिवस की समाप्ति पर पर बनाए रखी जाएं । बैंकों से यह भी अपेक्षित है कि वे बाज़ार जोखिमों के प्र ति अन्तर दिवसीय ऋण जोखिमों (Exposures) पर निगरानी रखने तथा उन्हें नियंत्रित रखने हेतु कठोर जोखिम प्रबन्धन प्रणाली बनाए रखें।

बाज़ार जोखिम हेतु पूंजी उन प्रतिभूतियों के लिए सुसंगत नहीं होगी जो पहले से परिपक्व हो गई हैं और अदत्त पड़ी हैं। इन प्रतिभूतियों पर केवल ऋण जोखिम हेतु पूंजी लागू होगी। 90 दिनों की चूक के पूरे हो जाने पर ऋण जोखिम हेतु उपयुक्त जोखिम-भार का निर्धारण करने के लिए इन्हें अनर्जक आस्तियों के समान ही माना जाएगा।

ब्याज दर जोखिम हेतु पूंजीगत प्रभार का माप

ब्याज दर से सम्बन्धित लिखतों के लिए पूंजीगत प्रभार बैंक की व्यापार बही में इन लिखतों के वर्तमान बाज़ार मूल्य पर लागू होगा तथा बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे उनके क्रय-विक्रय की स्थितियों को दै निक आधार पर प्रतिभूतियों के बाज़ार मूल्य को बही में अंकित करके बाजार जोखिमों के लिए पूंजी अविरत आधार पर बनाए रखें। न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को दो तरीकों यथा (i) विशिष्ट जोखिम प्रभार और (ii) सामान्य बाज़ार जोखिम (अलग से वर्णित) से मापा / व्यक्त किया जाता है।

धारिता अवधि की संभाव्य लम्बाई और बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी के तहत रखी गई ऋणगत प्र तिभूतियों से सम्बन्धित उच्चतर जोखिम को ध्यान में रखते हुए बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे बाज़ार जोखिम के लिए पूंजीगत प्रभार विशिष्ट जोखिम हेतु पूंजीगत प्रभार अथवा वैकल्पिक कुल पूंजीगत प्रभार के बराबर या उससे अधिक रखें।

(क) विशिष्ट बाज़ार जोखिम

विशिष्ट जोखिम हेतु पूंजीगत प्रभार खरीद से अधिक बिक्री (भारत में व्युत्पन्नियों को छोड़कर खरीद से अधिक बिक्री की अनुमति नहीं है) और बिक्री से अधिक खरीद वाले विशिष्ट जारीकर्ता से सम्बन्धित कारकों के कारण विशिष्ट प्रतिभूति के मूल्य में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के समक्ष संरक्षित करने हेतु तैयार किया गया है। विविध प्रकार के ऋण जोखिमों (Exposures) के लिए विशिष्ट जोखिम प्रभार और वैकल्पिक कुल प्रभार भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र में सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत किए गए हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

नष्ट आस्ति

नष्ट आस्ति वह है जिसमें हानि की बैंक या आंतरिक अथवा बाहरी लेखा-परीक्षकों या भारतीय रिज़र्व बैंक क़े निरीक्षकों द्वारा पहचान कर ली गई है, किन्तु उक्त रकम को पूर्ण रूप से बट्टे खाते नहीं डाला गया है। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार की आस्ति को गैर-वसूलीयोग्य तथा इतने मामूली मूल्य वाली माना जाता है कि इसका बैंकयोग्य एक आस्ति के रूप में बने रहना आवश्यक नहीं होता, यद्यपि उसका कुछ निस्तारण या वसूलीयोग्य मूल्य हो सकता है।

शब्दावली

क्रेता सावधान वाला सिद्धांत (Principle of Cavrat Emptor)

क्रेता सावधान वाले (देखर खरीदें) सिद्धांत के तहत क्रेता विक्रेता से उस सम्पत्ति में निहित उन दोषों के लिए क्षति को वसूल नहीं कर सकता जिन्होंने उस सम्पत्ति को सामान्य उद्देश्य से अनुपयुक्त बना दिया है। इसका एकमात्र अपवाद यह था कि यदि विक्रेता ने प्रच्छन्न दोषों को जानबूझ कर छिपाया हो या अन्यथा उसके बारे में ऐसी महत्वपूर्ण गलतबयानी की हो, जो धोखाधड़ी मानी जा सके।

विक्रेता सावधान

दोषों या कमियों की जिम्मेदारियां माल के विक्रेता पर डालने तथा क्रेता सावधान से ठीक विपरीत सामान्य कानूनी नियम अभिव्यक्त करने का एक सूक्ति वाक्य या नियम।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

जून, 2014 माह के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा

क्रम सं.	कार्यक्रम	दिनांक
1	लघु, एवं मध्यम उद्यम वित्तीयन पर 7वां कार्यक्रम	0 से 13 जून, 2014

मई, 2014 माह के दौरान पूरी की गई प्रशिक्षण गतिविधियां

क्रम सं.	कार्यक्रम	तिथि
1 1	टीजेएसबी के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए ग्राहकीकृत प्र शिक्षण	2 से 8 मई, 2014
2	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	5 से 9 मई, 2014
3	यूको बैंक के ऋण वसूली अधिकारियों के लिए ग्राहकीकृत प्रशिक्षण	19 से 31 मई, 2014

संस्थान समाचार

बैंकिंग संस्थानों के एशिया-प्रशांत संघ का सम्मेलन 2014

बैंकिंग संस्थानों का एशिया-प्रशांत संघ (APABI) एशिया-प्रशांत क्षेत्र में बैंकिंग संस्थानों का एक अर्ध-औपचारिक ढांचा है। इसकी स्थापना 1986 में 11 संस्थापक सदस्यों द्वारा की गई थी। वित्तीय उद्योग के उन प्रशिक्षण संस्थानों को एक साथ लाने में इस संघ की भूमिका महत्वपूर्ण है जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को उन रूपांतरकारी घटनाओं से निपटने हेतु क्षमता प्रदान करने के साझे लक्ष्य में हिस्सेदारी करते हैं, जो वित्तीय क्षेत्र को उसकी सर्वाधिक मूल्यवान आस्ति, मानवीय पूंजी के निरंतर नवीकरण को समर्थन प्रदान करते हुए नया रूप प्रदान करती हैं। वर्तमान में बैंकिंग संस्थानों के ए शिया-प्रशांत संघ (APABI) में 17 सदस्य संस्थान हैं।

बैंकिंग संस्थानों के एशिया-प्रशांत संघ (APABI) के सदस्य किसी एक सदस्य देश में एक सम्मेलन के साथ दो वर्ष में एक बार मिलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस (IIBF) वर्ष 2014 और 15 के लिए बैंकिंग संस्थानों के एशिया-प्रशांत संघ (APABI) के लिए मेज़बान संस्थान होगा। संस्थान 25 और 26 सितम्बर, 2014 को होटल ट्राइडेंट, बान्द्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, मुंबई में बैं किंग संस्थानों के एशिया-प्रशांत संघ (APABI) के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और कार्यपालक बैठक की मेज़बानी करेगा। उक्त सम्मेलन की मुख्य विषय-वस्तु है "बैंकों में प्रतिभा प्रबन्धन"। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in. देखें।

वीडियो व्याख्यान एवं ई-शिक्षण

संस्थान ने (i) जेएआईआईबी के लिए वीडियो व्याख्यान तथा सीएआईआईबी के 2 अनिवार्य विषयों के लिए और (ii) सीएआईआईबी के चयनात्मक विषयों के लिए ई-शिक्षण प्रदान करना आरंभ कर दिया है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in. देखें।)

दिशानिर्देशों की अंतिम तिथि

अभ्यर्थियों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि संस्थान द्वारा किसी विशिष्ट वर्ष के नवम्बर / दिसम्बर और मई / जून महीनों के दौरान आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से सम्बन्धित प्रश्नपत्रों में समावेश के उद्देश्य से केवल विनियामक (कों) द्वारा जारी अनुदेशों / दिशानिर्देशों तथा उस वर्ष के क्रमश: 31 जुलाई / 31 जनवरी तक बैंकिंग एवं वित्त से सम्बन्धित महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

संस्थान की परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

संस्थान ने विविध परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य (मास्टर) परिपत्रों से संग्रहीत अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपने पोर्टल पर डाल रखी है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

ई-मेल के जरिये आईआईबीएफ विजन

संस्थान ने उसके पास पंजीकृत सभी ई-मेल पतों पर आईआईबीएफ विजन ई-मेल करना आरंभ कर दिया है। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल आईडी संस्थान के पास पंजीकृत नहीं करवाए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे उसे संस्थान के पास यथा-शीघ्र पंजीकृत करवा लें। आईआईबीएफ विजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की वेबसाइट पर डाउनलोड करने हेतु भी उपलब्ध है।

---

* भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास आरएनआई संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत * डाक पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / उत्तर-पूर्व -295/ 2013 -15
* प्रत्येक महीने की 25वीं को प्रकाशित

नयी पहलकदमी

वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये भेजने के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास अपने ई-मेल पते अद्यतन करवा लें।

बाज़ार की खबरें

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

105.00
100.00
95.00
90.00
85.00
80.00
75.00
70.00
65.00
60.00
55.00

02/05/14 05/05/14 08/05/14 09/05/14 15/05/14 19/05/14 21/05/14 23/05/14
26/05/14 28/05/14 29/05/14 30/05/14

अमरीकी डालर यूरो 100 जापानी येन पौंड स्टर्लिंग

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

- आम चुनावों के अंतिम चरण में पहुंचने के कारण रुपया धीर-धीरे मज़बूत हो कर 5वीं को एक डालर के समक्ष 60.23 पर बंद हुआ।
- 7वीं को मज़बूती दिखाते हुए रुपया एक डालर के समक्ष 60.14 पर बंद हुआ।
- विदेशी निवेशकों से डालर के मज़बूत अन्तर्वाहों की पृष्ठभूमि में 12वीं को अंत: दिवसीय क्रय-विक्रय में रुपये के 59.51 के दस-माह के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद मनोभावों को बढ़ावा प्राप्त हुआ, किन्तु भारतीय रिज़र्व बैंक के हस्तक्षेप की रिपोर्टों के परिणामस्वरूप मुद्रा की पूर्ववर्ती मज़बूती घट गई और वह 60 0.5 पर बंद हुआ।
- चुनाव परिणामों की घोषणा से पहले 15वीं को अंत: दिवसीय लेनदेन में डालर के समक्ष रुपया 59.10 पर पहुंच गया था, किन्तु भारतीय रिज़र्व बैंक के हस्तक्षेप की आशंका ने मज़बूती को सीमित कर दिया तथा भारतीय मुद्रा 59.66 की तुलना में 59.29 के दस माह पहले के बंद वाले उच्च स्तर पर बंद पर बंद हुई।
- शेयरों में वृद्धि के अनुरूप रुपये में 4थे दिन मज़बूती आई तथा वह स्थिर अंतर्वाहों के आधार पर अमरीकी डालर के समक्ष 19वीं को 58.59 के नये उच्च स्तर पर बंद हुआ।
- निर्यातकों द्वारा अमरीकी मुद्रा की नवीकृत बिक्री और इक्विटियों में पुनरुत्थान के बाद 22वीं को रुपये में डालर

के समक्ष 11 माह से अधिक के 58.47 के शीर्ष स्तर के मुकाबले 30 पैसे की वृद्धि हुई, जो एक सप्ताह में उसकी सबसे बड़ी एक-दिवसीय मज़बूती थी।

- माह के दौरान रुपये में सभी स्तरों पर मूल्यवृद्धि दर्ज हुई, जो यूरो के समक्ष 3.64 % के उच्च स्तर पर, जापानी येन के समक्ष 1.14% के न्यून स्तर पर और अमरीकी डालर के समक्ष 1.98% रही।

भारित औसत मांग दरें

9.50
9.00
8.50
8.00
7.50
7.00
6.50
6.00

02/05/14 03/05/14 05/05/14 06/05/14 07/05/14 10/05/14 15/05/14 17/05/14 19/05/14 24/05/14 26/05/14 30/05/14

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, मई, 2014

- दरें व्यापक तौर पर श्रेणीबद्ध रहीं।
- मांग दरें 9.19% के उच्च और 6.53% के न्यून स्तर के बीच घटती-बढ़ती रहीं।
- चलनिधि 10वीं के लगभग कठोर बनी रही।

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

25000
24500
24000
23500
23000
22500
22000

02/05/14 5/05/14 07/05/14 09/05/14 13/05/14 16/05/14 20/05/14 21/05/14 26/05/14 27/05/14 28/05/14 29/05/14

स्रोत : बम्बई शेयर बाज़ार (BSE)

डॉ. आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, डॉ. आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।

संपादक : डॉ. आर. भास्करन

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.

आईआईबीएफ विज़न जून , 2014